Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

साहब सिह वगै0बनाम भगवान सिह वगै0

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट.............अपील संख्या ..06/2025

GCMS NO 2025/--2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2025	अपील श्री हंसराम गुर्जर अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने से धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र संलग्न कर अपील पेश की गई है। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील मे अपीलांट का हित निहित होना पृथम दृष्टया साबित होता है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायहित मे अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला करौली के उनवानी प्रकरण भगवान सिह बनाम मनोहरी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित आदेश दिनांक 13.01.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात ख0न0 444 रकबा 0.57 है0 तथा 445 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम बाढमहासिहपुरा तहसील टोडाभीम के संबंध मे दिया गया अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.1.25 की कियान्विति व प्रभाव स्थगित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को आवश्यक पक्षकार संस्थित कर अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण से जबाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को विचरीत करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण आधार पर अंतिम निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] रिकार्ड होवे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:17:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner